

मध्यप्रदेश शासन
वित्तविभाग
वल्लभभवन, मंत्रालय भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6/6/2018

क्रमांक एफ-1078/765/2018/नियम/चार मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 2012 भाग दो में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण म0प्र0 को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को अधिकमित कर एतद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं :-

स. क्र.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
1.	खेल उपकरण तथा खेलों से संबंधित सामग्री	1.प्रशासकीय विभाग 2.संचालक, खेल और युवा कल्याण 3. कलेक्टर 4. जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां रु.5.00 करोड़ एक बार में (इकाई की लागत अधिकतम रु. 25.00 लाख तक) रु.25.00 लाख तक एक वित्तीय वर्ष में। रु.15.00 लाख तक एक वित्तीय वर्षमें।	सक्षम स्तर से योजना/ कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरण / सामग्री के पूर्व अनुमोदन
2.	खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के आयोजन से संबंधित व्यय की मंजूरी	1.प्रशासकीय विभाग 2.संचालक, खेल और युवा कल्याण 3. कलेक्टर 4. जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां रुपये 1.00 करोड़ एक बार में रु.10.00 लाख तक एक वर्ष में। रु.5.00 लाख तक एक वर्ष में।	प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का विभागाध्यक्ष से अनुमोदन पर (स.क्र. 3 व 4 के लिए)

6/6/18

स. क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
1	2	3	4	5
3. (क)	खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय यथा बिस्तर, पुस्तक, कॉपी, किट,जूते, मोजे, कपड़े, शिक्षण शुल्क,चिकित्सा व्यय, बीमा इत्यादि के व्यय की मंजूरी	1.प्रशासकीय विभाग 2.संचालक, खेल और युवा कल्याण 3. कलेक्टर	पूर्ण शक्तियां रु.1.00 करोड़ तक एक बार में रु. 25.00 लाख एक वित्तीय वर्ष में	विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन
(ख)	खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं सहायकों के लिए आवास एवं परिवहन	4.जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	रु.10.00 लाख एक वित्तीय वर्ष में	
4	खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं सहायकों के लिये भोजन	1.प्रशासकीय विभाग 2.संचालक, खेल और युवा कल्याण 3. कलेक्टर 4.जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां रु.5.00 करोड़ एक बार में रु.10.00 लाख एक वर्ष में। रु. 5.00 लाख एक वर्ष में।	
5.	खेल अधोसंरचनाओं के रख-रखाव, मरम्मत हेतु व्यय की मंजूरी	1.प्रशासकीय विभाग 2. संचालक, खेल और युवा कल्याण 3.कलेक्टर	पूर्ण अधिकार रु.1.00 करोड़ एक बार में रु.5.00 लाख एक बार में	

0
6/6/18


स. क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्त
1	2	3	4	5
6. (क)	अश्वों के क़य	संचालक, खेल और युवा कल्याण	पूर्ण शक्तियां	क़य समिति की अनुशंसा पर, क़य समिति में गृह (पुलिस) व पशु चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ सम्मिलित करने की अनिवार्यता। विभागीय नियमों के अधीन
(ख)	अश्वों के भोजन/ चिकित्सा व रख रखाव पर व्यय			
7	प्रतियोगिताओं हेतु अश्वों व खेल उपकरणों का परिवहन	संचालक, खेल और युवा कल्याण	पूर्ण शक्तियां	विभागीय नियमों के अधीन
8	खिलाड़ियों को पुरस्कार, प्रशिक्षण एवं प्रतिभागिता से संबंधित व्यय की मंजूरी	संचालक, खेल और युवा कल्याण	पूर्ण शक्तियां	विभागीय नियमों/ निर्देशों के अनुसार
9	खेल विशेषज्ञों की यात्रा व आतिथ्य पर व्यय की मंजूरी	संचालक, खेल और युवा कल्याण	पूर्ण शक्तियां	विभागीय नियमों/ निर्देशों के अनुसार
10	खिलाड़ियों को खेल वृत्ति की मंजूरी	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां	विभागीय मापदण्ड/ नियमों के अधीन

26/6/18

11	लघु खेल संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	1.प्रशासकीय विभाग 2.संचालक , खेल और युवाकल्याण	पूर्ण शक्तियां रु.1.0करोड़ प्रति प्रकरण	निर्माण के प्रस्ताव सक्षम वित्तीय समिति से अनुशासित व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने की शर्त पर
----	---	---	--	--

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


6/6/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वित्तविभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-~~1679~~/765/2018/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6 / 6 / 2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल।


(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्तविभाग